तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बनाम संतोष कुमार सप्लाई विविध प्रकरण सं0 18/2015
12..06.17	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली देखी गई। राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय नियंत्रण) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध संतोष कुमार पुत्र कीमतराम पता भील बस्ती, गली नं.1, जोधपुर के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 22.07.15 को रसाई गैस की काला बाजारी व घरेलू गैस का वाणिज्यक प्रयोग में लेने के कम में प्रवर्तन स्टाफ ने भील बस्ती, गली नं.–1, जोधपुर स्थित अप्रार्थी का निरीक्षण किया गया तो मौके पर उक्त अप्रार्थी द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (बी.पी.सी.) का अवैध रुप से संग्रहण व परिवहन करते पाये गये। अप्रार्थी का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उपाबन्धों की अवहैलना होने से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिस कारण मौके पर उक्त 01 बी.पी.सी. घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया, जिन्हें राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना भी की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष का नोटिस तारीख पेशी दिनांक 30.03.17 बाद तामील लौटा, परन्तु अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी से जब्त किये गये उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात् किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राज्यसात् किये गये गैस सिलेण्डर मय गैस को संबंधित गैस कम्पनी में जमा करावे तथा उनसे प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जाय। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी जोधपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।